DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI THURSDAY, JANUARY 19, 2023

DATED-

East Delhi gets 17 sites for dumping C&D waste

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Municipal Corporation of Delhi has identified 17 sites for dumping C&D waste in east Delhi in view of air pollution and increasing illegal dumping.

These are located in the vicinity of residential areas and the civic authority is requesting the residents to use them extensively.

The sites are in Dilshad Garden (I Pocket Market), Seelampur (DDA land near petpump), Gautampuri (DDA land, Shastri Park), Yamuna Vihar (near junior engineer store), Brahmpuri (near X Block), Kardampuri (near Ambedkar College), Shiv Vihar (near M&CW Centre), Karawal Nagar, Shri Ram Colony (near old police station), among other areas.

The civic body has been conducting awareness campaigns to motivate people to keep their areas clean and to not dump garbage or C&D waste in the open.

"We had recently carried out a week-long awareness drive in the Shahdara north area wherein action was taken to sensitise people by holding workshops on sanitation and related topics. We even popularised the 17 sites, which have been identified for dumping C&D waste. Waste disposal at designated sites is important to mitigate air pollution and illegal dumping," said an official.

"There are a total of 65 designated sites in 12 zones of the capital for dumping C&D waste. While residents can dump the waste in small quantities at any of these sites. bulk generators/contractors are required to dump debris at the Shastri Park C&D plant," said the official.

In Karol Bagh and Najafgarh zones, the civic body carried out a plogging exercise recently.

"During the awareness campaigns, members of residents' welfare associations and traders' associations were encouraged to lift waste from public places/parks and were requested to sensitise citizens to dump C&D waste, waste furniture items, broken glass and other garbage items at the designated sites. Dumping of debris on public roads, slopes, drains, etc., is a punishable offence," said the official.

दैनिक जागरण नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2023

जागरण प्रभाव

वी के शुक्ला । नई दिल्ली

पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ की तलाश में पुराना किला में खोदाई शरू हो चुकी है। अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) जल्द ही महरौली के जंगल में राजा अनंगपाल द्वारा बनाए गए अनंगताल की तलाश के लिए खोदाई शुरू करेगा। ये काम एएसआइ की उत्खनन शाखा द्वारा कराने पर विचार किया जा रहा है। पहले यह कार्य एएसआइ के दिल्ली मंडल द्वारा कराने की योजना थी।

राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के पूर्व चेयरमैन तरुण विजय ने इस स्मारक की दशा सुधारने की पहल की है। एक हजार ईसवी में यह ताल निर्मित किया गया था, जो वर्षों से



अनंगताल । जागरण आर्काडव

वीके सक्सेना के निर्देश पर पिछले कुछ माह में यहां काफी काम हुआ हैं। अनंगताल इस शहर को दिल्ली नाम देने वाले तोमर राजा अनंगपाल ने बनवाया था। उनके विशाल किले 'लालकोट' की दीवारें अब भी दक्षिणी दिल्ली में कुछ स्थानों पर मिलती हैं। ये किला 1067 तक बनाया जाता रहा था। इसके कई बदह्मल स्थिति में था। उपराज्यपाल अमाण हैं कि अनंगपाल ने ही इस

शहर को 1052 ईसवी में बसाया था। तब इसका नाम ढिल्लिका दिया गया था। ये नाम धीरे-धीरे दिल्ली बन गया। अनंगपाल की मृत्य 1081 ईसवी में हुई। उन्होंने 29 वर्ष छह माह और 18 दिन दिल्ली पर राज

अनंगपाल से संबंधित प्रमाण जुटाने के लिए 1993 से 1995 तक एएसआइ के पूर्व संयुक्त महानिदेशक डा. बीआर मणि ने संजय वन में खोदाई कराई थी। उस समय राजा अनंगपाल से संबंधित किले के पैलेस क्षेत्र और ताल के प्रमाण मिले थे। उस समय ताल को साफ कराया गया था। पुरातत्विवदों के अनुसार अनंगताल. कृतुब परिसर में स्थित विष्णु ध्वज स्तंभ (लौह स्तंभ) तथा महाराजा अनंगपाल तोमर द्वितीय द्वारा निर्मित 27 मंदिरों के साथ ही निर्मित विराट सरोवर था।

अनंगताल का इतिहास

डा बीआर मणि के अनुसार कुमारपाल तोमर की मृत्यु के उपरांत वर्ष 1051 ईसवी में दिल्ली के तोमर राजवंश के 16वें शासक के रूप में अनंगपाल द्वितीय सत्तारूढ़ हुए। महरौली के लौह स्तंभ पर जो लेख प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार विक्रम संवत ११०९ अर्थात वर्ष 1052 ईसवी में अनंगपाल दिल्ली पर राज कर रहे थे और उस वर्ष ही उन्होंने लौह स्तंभ की स्थापना की थी। दैनिक जागरण का अभियान

दैनिक जागण इस स्मारक की दशा सुधारने के लिए लगातार अभियान चला रहा है। इसकी दशा सुधारने के लिए निरंतर खबरें लिख रहा है। अभियान का मकसद है कि संबंधित विभाग अपनी जिम्मेदारी समझें। इसी को लेकर ये अभियान डीडीए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जल बोर्ड और स्थानीय प्रशासन को जगा रहा है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS

-DATED

दैनिक जागरण नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2023

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । गुरुवार, 19 जनवरी 2023

गले में ताला लटका कर सीलिंग का किया विरोध

उपराज्यपाल कार्यालय तक आज पैदल मार्च करेंगे व्यापारी



गले में ताला लटकाकर सीलिंग के खिलाफ प्रदर्शन करते सदर बाजार के व्यापारी 🍩 जागरण

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: दुकानों की सीलिंग के खिलाफ सदर बाजार के व्यापारियों ने गले में ताला लटका कर विरोध जताया। यह प्रदर्शन जटवाड़ा पर हुआ। व्यापारियों ने अपने भविष्य को लेकर चिंता जताई।

फेडरेशन आफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन (फेस्टा) के अध्यक्ष राकेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की गलती का खामियाजा सदर बाजार के दुकानदार भुगत रहे हैं। वर्ष 2004 में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के उपायुक्त ने इस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया था और यहां की संपत्तियों में 90 प्रतिशत व्यावसायिक गतिविधियों को पाए जाने पर इसे व्यावसायिक क्षेत्र घोषित किया था,

व्यापारी बोले, उपराज्यपाल करें हस्तक्षेप

फेस्टा के चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा ने बताया कि अगर सीलिंग की यह कार्रवाई बंद नहीं हुई और दुकानों का सील नहीं खोला गया तो यह विरोध-प्रदर्शन और तेज होगा। शुक्रवार को व्यापारी सिविल लाइंस स्थित उपराज्यपाल कार्यालय तक

लिकन उक्त सर्वेक्षण के अनुसार डीडीए ने अपने रिकार्ड में बदलाव नहीं किए। जटवाड़ा में पिछले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित मानिटरिंग कमेटी के आदेशानुसार एमसीडी ने सीलिंग की कार्रवाई की। फेस्टा के महासचिव राजेंद्र शर्मा ने

बताया कि तकरीबन 25 दुकानों को

विरोध मार्च निकालेंगे और वहां एलजी के नाम ज्ञापन देंगे, जिसमें उनके हस्तक्षेप की मांग होगी, ताकि दिल्ली के बाजारों को सीलिंग से मुक्ति मिल सके। इस मौके पर चौधरी योगेंद्र सिंह समेत कई अन्य सीलिंग से पीड़ित व्यापारी भी मौजद रहे।

सील किया गया है। साथ ही कुछ दुकानदारों को सीलिंग का नोटिस दिया गया है। इससे यहां के साथ ही दिल्ली भर के व्यापारियों में भय के साथ आक्रोश का माहौल है। जल्द ही केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी और मानिटरिंग कमेटी के सदस्यों से भी मुलाकात की जाएगी।

'संवैधानिक जिम्मेदारियों को भूल गए हैं LG'

चर्चा के अंत में उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि जनता के द्वारा चुनी गई दिल्ली सरकार को बाईपास करके एलजी संविधान और लोकतंत्र का गला घोंटने का काम कर रहे हैं। एलजी किसी कबीले के सरदार की तरह बर्ताव कर रहे हैं. लेकिन अपने बड़े सरदार को खुश करने के चक्कर में अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को भूल गए हैं। उन्होंने एलजी पर अधिकारियों को सस्पेंड करने की धमकी देकर उनसे भी असंवैधानिक तरीके से काम करवाने का आरोप लगाया। सिसोदिया ने कहा कि एलजी को लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर संभालने का जिम्मा दिया गया है, लेकिन आज तक न तो उन्होंने किसी थाने का दौरा किया और ना डीडीए की जमीन से अवैध कब्जे हटवाने के लिए प्रयास किया। उनका पूरा ध्यान केवल दिल्ली सरकार के कामों में हस्तक्षेप करने में लगा हुआ है। एलजी को यह समझना चाहिए कि लोकल गवर्नेस के विषय में निर्णय राज्य सरकार और लोकल बॉडीज ही लेंगी। इसमें उनके हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEW



▶ **१९ जनवरी, २०२३ ▶ गुरुवार** DATED

डीडीए की जमीनों पर भूमाफियाओं का कब्जा एलजी नहीं छुड़वा रहे

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आज दिल्ली में डीडीए की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा है। आलम ये है कि भूमाणिया दिल्ली में दानिवस अधिकारियों को धमकी देते हैं कि रातारात मेरे मुताबिक काम करवा दो वर्ना ट्रान्सफर करवा दूंगा और जब अधिकारी नहीं मानते तो ट्रान्सफर भी हो जाता है। हमारे विधायक राजेन्द्र पाल गौतम, विनय मिश्रा ने स्कूल की जमीनों को भाजपा समर्थित भूमाफियाओं से छुड़वाया। डीडीए के चेयरमैन के रूप में उपराज्यपाल का ये काम था कि वो इन जमीनों को कब्जे से छुड़वाएं लेकिन एलजी इस पर बात नहीं करेंगे। वो बस बात करेंगे कि टीचर्स फिनलैंड नहीं जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि एलजी अपने हिस्से में आने वाले कामों की बात नहीं करेंगे। सिसोदिया ने कहा कि मैं उपराज्यपाल से निवेदन करना चाहता हूं कि वो संवैधानिक पद पर है, संविधान का पालन करें न कि किसी कबीलों के सरदार के रूप में काम करें।